

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2014/कार्तिक 20, 1936

No. 576] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2014/KARTIKA 20, 1936

लोक उद्यम विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2014

सा.का.िन. 787(अ)—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग (समूह "घ" पद) भर्ती नियम, 1999 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है,लोक उद्यम विभाग में बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक उद्यम विभाग (बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण,वेतन बैंड और वेतनमान में ग्रेड वेतन -उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित,आयु-सीमा,आदि अर्हताएं आदि-भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह केअन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात,ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड	चयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सीधे भर्ती किए
13 11 - 11					जाने वाले
		वेतन या	1	3	व्यक्तियों के लिए
		वेतनमान।	पद।	A w	अपेक्षित शैक्षिक
					और अन्य
					अर्हताएं
. (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33*(2014)*	साधारण	वेतन बैण्ड-	लागू	18 से 25 वर्ष के बीच	2
कार्यभार के	केंद्रीय सेवा,	1	नहीं	:	
आधार पर	समद 'ग'	5200-	होता	नोट: आय-सीमा अवधारित करने के लिए	मैट्टिक या
	***	20200 रु.		निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से	मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण
		+ग्रेड वेतन		आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई	तमपुर्व उतारा
सकता है।		1800/-रु.		अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम	
	साचवाय			तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल	
				प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड,	
				त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-काश्मीर राज्य के	
				लद्दाख खंड,हिमाचल प्रदेश के लाहोल और	
				स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी	
				उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप तथा	
	×			गई है।)	

				रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले	
		•	*		
	(2) 33*(2014)* कार्यभार के	(2) (3) 33*(2014)* साधारण कार्यभार के केंद्रीय सेवा, आधार पर परिवर्तन किया जा अराजपत्रित,	(2) (3) (4) 33*(2014)* साधारण वेतन बैण्ड- कार्यभार के केंद्रीय सेवा, 1 5200- परिवर्तन किया जा सकता है। अननु- 1800/-क	(2) (3) (4) (5) 33*(2014)* साधारण वेतन बैण्ड- लागू नहीं जधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। अननु- 1800/-रु	(2) (3) (4) (5) (6) 33*(2014)* साधारण केंद्रीय सेवा, अधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। सम्मूह 'ग' अराजपत्रित, अननु-सिचिवीय सिववीय (3) (4) (5) (6) 18 से 25 वर्ष के बीच नहीं होता होता होता चेंद्राय सेवा, अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-काश्मीर राज्य के लहाख खंड,हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

1-0-m m	चि गा गावित व	ग्ग शर्मी की जाग	* > 200 ··· O ···)	मो जिल्ला	िगदि गा आ	मेलन किया जाएगा।
श्रान्नात या प्रातान्य	ाक्त या आमलन द्व	ारा मता का दशा	म व त्राणया ।जनस	प्रान्नात या प्रात	ानयुक्ति या आ	मलग किया जाएगा।
			(11)			
		***************************************	लागू नहीं होता			

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति के लिए) है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(1	2)	(13)
पृष्टि के संबंध में विचार करने प्रोन्नति समिति:-	ने के लिए समूह 'ग' विभागीय	लागू नहीं होता
उप सचिव या निदेशक	- अध्यक्ष	
अवर सचिव (प्रशासन)	- सदस्य	
अवर सचिव	- सदस्य	

[फा.सं.ए.-12018/1/2013-प्रशा.]

ज्योति माथुर, अवर सचिव

DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2014

- G.S.R. 787(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the Ministry of Industry, Department of Public Enterprises (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1999, except as respective things done or omitted to be done before such supersession, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Multi Tasking Staff' in the Department of Public Enterprises, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Department of Public Enterprises (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay of pay scale.—(The number of the said post, its classification, pay band and grade pay of pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualifications.**—(No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who have a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—(Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—(Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether Selection Post or Non- Seleciton Post.	Age Limit For Direct Recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff.	*Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'C' Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Pay band- 1,Rs.5200- 20200+Grade Pay of Rs. 1800/-	Not applicable.	Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep). In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining age shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent pass.	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by directrecruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

If Departmental Promotion Confirmation) exists, what is its con		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotio	n Committee for considering	Not applicable
Deputy Secretary or Director	- Chairman	
Under Secretary(Administration)	- Member	
Under Secretary	- Member	

[F. No. A-12018/1/2013-Admn.]

JYOTI MATHUR, Under Secy.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA: PART II, SEC. 3-SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1034-1063

Dated 5-6-99

उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF INDUSTRY

(सरकारी उद्यम विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 18 मई, 1999

सा.का.नि. 168.—संविधान के धनुच्छेड 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (1) वित्त मंत्रालय सरकारी उद्धम कार्यालय, रिकार्ड सार्टर भर्ती नियमावली, 1985 तथा (2) उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्धम कार्यालय, पुस्तकालय परिचर भर्ती नियमावली, 1987 को अधिकमित करते हुए, इस अधिकमण के पूर्व जो चीजें की जा चुकी हैं अथवा जो छूट गई हैं उनको छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा उद्योग मंत्रालय सरकारी उद्धम विभाग में समूह "ग" के पदों पर भर्ती के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, धर्मात् :—

- संक्षिप्त शीर्षंक ग्रौर प्रारम्भ:—(1) इन नियमों को उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग समूह "ग" के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली, 1999 कहा जाएगा।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाणित होनेकी तारीख से लागू होंगे।
- ग्रनुप्रयोग:--इन नियमाविलयों का अनुप्रयोग 'इन नियमाविलयों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनि-दिल्ट पदों के लिए किया जाएगा ।
- 3. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वैतनमान:— कथित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतनमान कथित अनुसूची के कालम 2 से 4 तक के विनि-देशों के अनुसार होंगे।
- 4. मती की विधि ग्रायु सीमा, ग्रहंताएं ग्रादि :—भर्ती की विधि तथा ग्रायु सीमा, ग्रहंताएं ग्रीर उनसे संबद्ध ग्रन्य मुद्ददे उपरिलिखित ग्रनुसूची के कालम 5 से 14 तक के विनिदेंगों के ग्रनुसार होंगे।

- 5. ग्रनहंताएं:--कोई भी व्यक्ति--
- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदा-गत विवाह किया हो जिसेका जीवन साथी जीवित हो, अथवा:
- (ख) जिसने एक जीवन साथी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

किन्सु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर ग्रौर उससे विवाह करने बाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाला स्वीय विधि के ग्रंतर्गत इस प्रकार के विवाह की ग्रनुमित दी जा सकती है ग्रौर ऐसा करने के भ्रन्य कारण भी हैं ती वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से भूट दे सकती है।

- 6. छूट देने की शिवत:—जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह बिचार हो कि इन नियमों के किसी उपबंध में किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में छूट देना आवश्यक या उचित हो, वहां उसके लिए लिखित रूप में कारण बताकर छूट का आदेश दे सकती है।
- 7. ब्याबृत्तिः केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए धादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा प्रत्य विशेष वर्ग के ब्यक्तियों के लिए जो धारक्षण, आयु—सीमा में छूट और ग्रन्य रियायतें प्रदान की जाती हैं उन पर इन नियमों के कारण किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।

The state of

चालक के ग्रेड में 15 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा की हो ग्रौर जिन्होंने :---

- (क) इस उद्देश्य के लिए ग्रायोजित व्यवसाय परीक्षण, जिसका पाठ्यकम निम्नलिखित होगा, किया हो :---
- (i) अंग्रेजी के ग्रंकों एवं ग्रांकड़ों को पढ़ने की योग्यता ग्रावश्यक है ;
- (ii) यातायात विनियमों का ग्रच्छा ज्ञान ग्रावश्यक है;
- (iii) खराबियों को ढूंढ़ पाने तथा मामूली चालू मर-म्मत कर पाने की योग्यता आवश्यक है;
- (iv) टायरों को बदलने तथा सही ढंग से हवा भर पाने की योग्यता अनिवार्य है।
- (ख) उपर्युक्त (i) से (iv) के श्राधार पर प्रायोगिक परीक्षण ।

टिप्पणी:--यदि पदोन्नति के लिए कनिष्ठ उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा होतो पदोन्नति के लिए उससे वरिष्ट सभी उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाएगा भ्रौर ऐसा इस तथ्य के बावजूद होगा कि उन्होंने अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी नहीं की हो, बगर्ते कि उन्होंने उस ग्रेड में परिवीक्षा की श्रविध सफलता-पूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि कोई विभागीय समिति है तो उसकी संरचना क्या है

ंह रॉक अल्डा ल विकास क्या अल्डा

वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्श किया जाना है

लागू नहीं

समृह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखत शामिल . **होंगी** - इ.स. १५०० मा अपने का

(1) निदेशक/उप सचित्र हा हो कि न हमाने विकास कर

सरकारी अद्यम विभाग ---ग्रह्मक

(2) ग्रवर सचिव सरकारी उद्यम विभाग

(3) उप निदेणक सरकारी उद्यम विभाग

--सदस्य

STAR STAR STAR 3 4 2 लाग नहीं नहीं ग्रचयन पद सामान्य 4000-2. स्टाफ कार सामान्य केन्द्रीय सेवा 100-ग्रंड में चालक / संमूह "ग" 6000 F. (ग्रेड-Ⅱ) पदधारको ग्रराजपितत की योग्यता के ग्राधार पर ग्रलिपिक-वर्गीय THE THE THE

लागु नहीं नहीं पा 25 वर्ष से ग्रधिक नहीं (सरकारी सामान्य 3050-75-2*(1999) 3. स्टाफ कार कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष *कार्यभार केन्द्रीय सेवा 3950-80-चालक 🛷 तक शिथिलनीय केन्द्रीय समूइ "ग" (सामान्य ग्रेड) के अनुसार 4590 रुपए सरकार द्वारा जारी अनुदेशों ग्रराजपत्रित परिवर्त न ग्रथवा ग्रादेशों के अनुसार (ग्रलिपिक संभव अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्गीय) जनजित के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष) टिप्पणी-1: ग्रायु सीमा के निर्धा-रण की निर्णायक तारीख भारत के उम्मीदवारों के लिए ग्रावेदन-पत्नों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी (और अंतिम तारीख उन उम्मीद-वारों के लिए निर्धारित नहीं होगी जो ग्रसम, मेघालय, ग्ररूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिविकम, जम्म एवं कश्मीर राज्य के लहाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप प्रभाग तथा ग्रण्डमान एवं निकोबार संघ क्षेत्र ग्रथवा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में रहते हों। टिप्पणी-2: रोजगार कार्यालयों toppiet wage stired it a drive. के माध्यम से मावेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ग्रायु निर्धारण की तारीख वह होगी जिस तारीख को कार्यालयों रोजगार उम्मीदवारों को नामित करने के लिए कहा जाएगा। 10 9 दो वर्ष लाग नहीं ग्रनिवार्यः :--

(i) मोटर कार के लिए वैध लाइसेंस रखता हो ।

त्म-गौर

ol.

TI

TT

(ii) मोटर त्रियाविधि का ज्ञान हो (उम्मीदवारी की

बाहन की छोटी-मोटी खराबियों को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए) ।

(iii) मोटर कार चलाने का कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय: (1) भ्राठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

विभागीय पदोन्नति समिति (संपुष्टि पर विचार के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे :--

निदेशक/उप सचिव सरकारी उद्यम विभाग—ग्रध्यक्ष

2. ग्रवर सचिव,

सरकारी उद्यम विभाग

3. सरकारी उद्यम विभाग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उप निदेशक/सहायक निदेशक

3 5 सामान्य 3.0.5.0=.75- लाग् नहीं लाग नहीं 4 पुस्तकालय केन्द्रीय सेवा (1999) 3950-80-समूह "ग" *कार्यभार के 4590 रुपए के अनुसार (अराजपत्रित) ग्रसिपिक परिवर्तनीय वर्गीय

लाग् नहीं।

18--- 25 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक मिथिल-नीय) (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए ग्रमदेशों ने धनुसार धनुस्चित जाति/धनुसूचित जनजाि के लिए 40 वर्ष तक) टिप्पणी 1 आय सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत के उम्मीव-बारों के लिए अबिदन-पत्नों की प्राप्ति की ग्रांतिम तारीख होगी और अंतिम तारीख उन उम्मीदवारों के निर्धारित नहीं होगी जो (ग्रसम, मैधालय, अंश्णाचल प्रदेश, मिजोरम. मंणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्तिम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लहासा प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-प्रभाग तथा अण्डमान एवं निकोबार संघ क्षेत्र ग्रथंबा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में रहते हों)। टिप्पणी. 2. रोजगार कार्या-

> लयों के माध्यम से प्रावे-दन करने वाले उम्मीद-

निर्धारण की तारीख को

को

लिए

कार्यालयों को

नामित

वारों के लिए

कारने के

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

and the rest of the fact.

जाएगा ।

रोजगार

उम्मीदवारों

14 13 समृह "ग" विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल लाग् नहीं होंगें :--- उप सचिव/निदेशक (प्रशासन) सरकारी उद्यम विभाग ---ग्रध्यक्ष 2. ग्रवर सचिव, सरकारी उद्यम विभाग --सदस्य 3. उप निदेशक, सरकारीं उद्यम विभाग --सदस्य 2 3 4 5 1 1* लाग् नहीं लागू नहीं 25 वर्षों से अधिक नहीं सामान्य 3050-75-6. सवार (सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सेवा (1999)3950-हरकारा *कार्यभार के (समूह "ग") 35 वर्ष तक शिथिलनीय) 80-ग्रराजपवित (केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसार 4590 परिवर्तनीय श्रलिपिक-जारी किए गए अनुदेशों धपए वर्गीय अथवा आदेशों के अन्-सार अनुसूचित जाति/ ग्रनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष)। टिप्पणी 1 आयु सीमा के निर्धारण की निर्णायक तारीख भारत के उम्मीद-वारों के लिए ग्रावेदन-पत्नों की प्राप्ति की श्रंतिम तारीख होगी (और अंतिम तारीख उन उम्मीदवारों के लिए निर्धा-रित नहीं होगी जो असम, मेघालय, धरणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागा-लैण्ड, स्त्रिपुरां, सिविकम जम्म् एवं कण्मीर राज्य के लहाख प्रभाग, हिमा-चल के लाहील एवं स्पीति जिले तथा चम्बा के पांगी उप-प्रभाग तथा अण्डमान एवं निको-संघ क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में रहते 意 1 टिप्पणी 2. रोजगार कार्यालयों माध्यम से प्रावेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु निर्धारण की तारीख वह होगी तारीख को रोजगार कार्या-लयों को उम्मीदवारों को नामित करने

कहा जाएगा।

14

लाग नहीं

समूह ''ग'' विभागीय पदोन्नति समिति (सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों की संपुष्टि के लिए)

 निदेशक/उप सचिव सरकारी उद्यम विभाग

---ग्रह्मक्ष

2. अवर सचिव । सरकारी उद्यम विभाग

--- सवस्य

3. सरकारी उद्यम विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उप निदेशक/सहायक निदेशक — सदस्य

> [संख्या ए-12018/1/98+प्रशासन] सी. सी. उण्णिकृष्णन, उप सचिव

(Départment of Public Enterprises) New Delhi, the 18th May, 1999

S.R. 168.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of (1) the Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises, Record Sorter Recruitment Rules, 1985 and (2) the Ministry of Industry, Bureau of Public Enterpises, Library Attendant Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Ministry of Industry, Department of Public Enterprises, namely:—

- 1. Short title and commencement—(1) These rules may be called the Ministry of Industry, Department of Public Enterprises Group 'C' posts Recruitment Rules, 1999.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

- 4. Method of recruitment, age limit and qualification, etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a matriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of he opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification Scale of pay
namen sa massilanin munamunganin noon raansan manaa distanta saababii sa to saan u L	2	3 was made and the same of 4 dr
1. Staff Car Driver (Grade I)	1* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Rs. 14500-125-7000 Non-Gazetted (Non-Ministerial)

1	2	3		4	NA TE
Staff Car Driver (Grade II)	Depending upon the eligibility of the incumbent in the ordinary grade.	General Central S Non-Gazetted, N		Rs. 4000-100-6000	
5	AND THE RESERVE	6		7	
n-Selection		No		Not applicable	
			7		
8	9		10	. 11 .	1
t applicable	Not applicable	No	t applicable	By Promotion	
	Telepara and a second				
12			13	14	
motion: The Car Driver (ordinated) and the condense of the care of the grade, when the grade,	n 9 years regular	Committee—co	artmental Promotio omprising of:— ity Secretary, Depar Enterprises—Chair	t-	able
	ducted for this purpose, shall be as follows:—	Under Secreta Public Enterpr	ry, Department of ises—Member		
must be able to read	d English numerals and		or, Department of rises—Member		
must have good kn	owledge of traffic			* 7 5 7	
	cate faults and carry out			All things in the second	
	ange and correctly inflate	S.		tantino.	1911
	d on (i) to (iv) above.		and points are easily	go de sui divini en est.	
	are considered for ns senior to them shall or promotion, notwith-			minute Source Service	
tanding the fact that he requisite qualifyi	t they have not completed ng service, provided that y completed the probatio	- <		em tait Ceneralis aus a san d messeggeschines at	
				project) and a fit or of \$2.0 on the grade of the many or termination and assess	7
1	2		3	1	later in an
itaff Gar Driver Ordinary Grade)	2* (1999) *Subject to varia dependent on wo	General C tion Non-Ga	entral Service Grou zetted (Non-Ministe	p 'C' Rs. 3050-75-395	50-80-

of the opinion that sufficient number of candi-Service Commission/Staff Selection Commission, if at any stage of selection the Union Public Competent Authority/Central Government is Scheduled Castes or Scheduled possessing Tribes

dates from these communities requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. 12 13

On deputation/absorption:

From amongst the regular despatch riders from officials holding the post of despatch riders on regular basis or regular Group 'D' competence to drive motor cars failing which employees in other ministries of the Central on the basis of a driving test to assess their qualifications as mentioned in column 8. Government, who fulfil the necessary possess valid driving licence for motor cars Department of Public Enterprises who (Group 'C') and Group 'D' employees in the

w

For ex-servicemen on deputation/re-employment:

The Armed Forces Personnel due to retire or thereafter they may be continued on re-employthey are due for release from the Armed Forces; given deputation terms upto the date on which also be considered. period of one year and having the requisite who are to be transferred to reserve within a experience and qualifications prescribed shall Such persons would be

Period of deputation:

Period of deputation including the period of departments of the Central Government shall in the same or some other organisations/ deputation/contract in another ex-cadre post ordinarily not exceed three years. held immediately preceding this appointment

> (for considering confirmation) Departmental Promotion Committee comprising of:

1. Director/Deputy Secretary, Department of Public Enterprises—Chairman

2 Public Enterprises—Member Under Secretary, Department of

Deputy Director/Assistant Director, belonging to Scheduled Castes, Department of Public Enterprises Scheduled Tribes.-Member

Not applicable

14

t. Library Attendant	1	
*1 (1999) *Subject to variation dependent on work load.	2	
*1 (1999) *Subject to variation Group 'C' (Non-Gazetted) dependent on work Non-Ministerial load.	3	
Rs. 3050-75-3950-80-4590/-		

4

	2		3		4
5. Record Sorter/	1* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Se Non-Gazetted Non		Rs. 3050-75-3	1950-80-4 59 0/
5	feet on the	6		7	
Selection-cum-Seniority	E THE RIVE	Not applicable		Not applicable	
8	9		10	-	11
Not applicable	Not applic	able	Two years	В	y promotion
		The State of the S	((())) (() A) A)		l mention
12			13	11/1	14
have rendered eight ye	ssed Middle School	Enterprises—Me 3. Deputy Director		Dublio	
Standard.		Enterprises—Me	mber.	Tuble 1	Part of the second
	2		mber.	4	
Standard.		Enterprises—Me	vice (Group Non-Ministerial	4 Rs. 3050-75-3	and the same of th
Standard.	2 1* (1999) *Subject to variation dependent on work	Enterprises—Me 3 General Central Ser	wice (Group	4 Rs. 3050-75-3	and the same of th
Standard.	1* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	Enterprises—Me 3 General Central Ser	vice (Group Non-Ministerial	4 Rs. 3050-75-3	and the same of th
Standard. 1 6. Despatch Rider	2 1* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	Seneral Central Ser 'C') Non-Gazetted, Not expression of Scription according to the servan of Scription according to the	vice (Group Non-Ministerial 7 sceeding 25 years upto the age heduled Caste/	Rs. 3050-75-3 rs (Relaxable for of 35 years (40 Scheduled Tribe instructions or	r Governmer years in case e candidates

cycle/autorikshaw on the basis of the driving test to assess their competence to drive their vehicle, failing which Group 'D' employees or officials holding the post of Despatch Rider in other Ministries of the Central Government. Period of deputation:

Period of deputation/contract, including the period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceeding the appointment in the same or some other organisations/departments of the Central Government, shall ordinarily not exceed 3 years.

of Public Enterprises—Chairman

Not applicable

2. Under Secretary, Department of Public Enterprises—Member

Deputy Director/Assistant Director
Department of Public Enterprises belonging
to Scheduled Caste/Scheduled Tribe — Member

[No. A-12018/2/98-Admn.] C.C. UNNIKRISHNAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 मई, 1999

- सा. का. नि. 169.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्दारा उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग में समूह "घ" के पदों पर भर्ती के तरीकों का विनियंत्रण करने के लिए निम्निलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :—
- ा. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ :--(1) इन नियमों का उद्योग मंत्रालय, सरकारी, उद्यम विभाग, (समूह "घ") के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली, 1999 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपन्न में/प्रकाणित होने की तारीख से लागू होंगें।
- 2. श्रनुप्रयोग :—इन नियमाविलयों का ग्रनुप्रयोग नियमाविलयों के साथ संलग्न ग्रनुसूची के कॉलम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए किया जाएगा।
- 3. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान कि कृषित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे जुड़े वेतन-मान कथित अनुसूची के कालम 2 से 4 तक के विनिर्देशी के अनुसार होंगे।
- 4. भर्ती की विधि, श्रायु सीमा, ग्रईताएं ग्रादि :—भर्ती की विधि तथा श्रायु सीमा, ग्रईताएं ग्रीर उनसे संबंद अन्य मददे उपरिविखित श्रनुसूची के कॉलम 5 से 14 तक के विनिर्देशों के श्रनुसार होंगें।
- 5. चपरासी के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का होमगार्ड के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने का उत्तरदायित्व :—इन नियमों में शामिल किसी बात के बावजूद इन नियमों के ग्रंतर्गत चपरासी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति को, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को छोड़कर, तीन वर्षों की ग्रंविध के लिए होमगार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त करना होंगा, बशर्ते कि होमगार्ड का कमांडेन्ट जनरल प्रशिक्षण की ग्रंविध के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के कार्य निष्पादन के स्तर को ध्यान में रखते हुए यह ग्रंविध कम करके 2 वर्ष कर दे तथा इसके कारण लिखित रूप में दर्ज करे।
 - 6. ग्रनहिताएं :--कोई भी व्यक्ति,--
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, अथवा
 - (ख) जिसने एक जीवन साथी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो; उक्त पद पर नियुक्ति का पान्न नहीं होगा:

किन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर ग्रौर उससे विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने स्वीय विधि के ग्रंतर्गत इस प्रकार के विवाह की अनुमित दी जा सकती है ग्रौर ऐसा करने के ग्रन्य कारण भी हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

म्या विभागीय क्या है।	पदोन्नति समिति वि	व्ययान है, इसकी	संरचना			जिनमें भर विचार-विमश		।य संघ लोक ।	सेवा
	13					14			
तमूह ''घ'' विश	गागीय पदोश्चति सर्व	वित में निम्नेलिखि	त शामिल :			लागू न	हीं		100
(1) अवर स	चिव, सरकारी	उद्यम विभाग	ग्रध्यक्ष						
(2) अनुभाग	ग्रधिकारी, सरक	ारी उद्यम वि	भाग-सदस्य						
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	मंत्रालय के श्रंतर्ग गाग श्रधिकारी	त ग्रन्थ विभाग	ा	* **	- 1				
1	2	3	4	5		6		7	
·									
2. दफ्तरी	4*	सामान्य		गैर-चयन		नहीं	200	नागू नहीं	
	(1999) *कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा (ग्रराजपत्नित)	3150-65-		5,5			11.000	
	ग्राधार पर	(गैर-लिपिकीय)						17	
	ग्रलग-ग्रलग		V						30.5
	8				9			10	
	. लागू नही				लागू नहीं	ing grand	10,811	लागू नहीं	
					1000	in the	a gar opt		
	11					12	ri - ma		
	पदोस्नति द्व	ारा			पदोश्नति	1 2			
			1			व्रम विभाग			
	1				कम से	कमं 2 वर्षी	की नियमित	सेत्राकी है	
	/ 13			-		14			
(1) धवर व	सचिव, सरकारी	उद्यमं विभाग				लागू न	 ɪहीं		
	ग्रधिकारी, सरव						W 1 W		
	मंत्रालय के ग्रंतर								
A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF TH	गाग ग्रधिकारी -		सदस्य 						
1 1	2	3	4	5		6		7 -	
 किंगिष्ठ 	1*	सामान्य	2610-60-	गैर चयन	;	नहीं	ला	गू नहीं	
गेस्टेटनर	(1999)	केन्द्रीय सेवा	3150-65-			od.			
ग्रापरेटर	*कार्यभार के	समूह "घ"	3540/			1			
	ग्राधार पर ग्रलग-ग्रलग	(ग्रराजपत्नित) गैर-लिपिक)	स्पए						

पांगी उप-प्रभाग ग्रण्डमान एवं निकोबार संय क्षेत्र ग्रथवा लक्षद्वीप संघ क्षेत्र में रहते हीं)। टिप्पणी 2 .-- रोजगार कार्यालयों के माध्यम से करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु निर्धारण की तारीख वह होगी जिस तारीख को रोजगार कार्या= लयों को उम्मीदवारों को नामित करने के लिए कहा जाएगा।

10

भ्रनिवार्य :--

ग्राठवीं कक्षा में उत्तीर्ण

वांछित :--

होम गार्ड तथा सिविल डिफेंस में ग्राधारभूत तथा पनण्चया पाठयंक्रम ।

टिप्पणी :-- 1. अन्यथा सूर्योग्य उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा ग्रायोग/कर्मचारी चयन श्रायोग/ सक्षम प्राधिकारी/केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार योग्यताएं शिथिलनीय हैं।

टिप्पणी:- 2 यदि चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी वयन आयोग/सक्षम प्राधि-कारी/केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनस्चित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उनत समुदाय के अपेक्षित अनभव वाले उम्मीदबार मिल पाने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन ग्रायोग/सक्षम प्राधिकारी/केन्द्रीय सरकार अनुभव संबंधी योग्यतायों को शिथिल कर सकती है।

लाग् नहीं

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए 2 वर्ष

12

1.1

75% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा तथा 25% प्रामेलन द्वारा ऐसा न होने की स्थिति में प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा !

ग्रामेलन:

सरकार में 2550-55-2660-60-3200/-रुपए के वेतनमान में केन्द्र सरकार के समृह "घ" के कर्मचारी, जिन्होंने इस ग्रेड में कम से कम 5 वर्षों की नियमित सेवा की है तथा जो हिन्दी ग्रथवा ग्रंगेजी ग्रथवा किसी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ते को क्षमता सहित मौलिक साक्षरता भी रखते

	8		2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9			10
कोई एँक्षिणक ग्रहेंत	र्ति नहीं		F	तागू नहीं			दो वर्ष
		. 11	<i>.</i>			12	alian bang minis awar mengungkan antai aman paga minis di ang mana binas anan anan ang
त्यक्ष भर्ती ग्रथवा	श्रामेलन द्वा	π		g magan nama salam minga diangganian ini, ini asan		र में समान ग्रथवा , श्रामेलन द्वारा	समकक्ष पदों पर कार्यंर ।
to the jest the	d de result						
	13		, T		14		
	कारी, सरका के भ्रन्तर्गत	सरकारी उद्यम ि री उद्यम विभाग ग्रन्थ विभाग से		य ./:	लागू नहीं		
harmonismission suga nava sunga akantandahkara arasa pinag sa	2	3	4	5	6		name angularia nitar angularia nambana angularia nambana nitar angularia nitar angularia. T
कर्मचारी (*ब ग्रा	3* 1999) हार्यभार के छार पर ग्रलग-ग्रलग	सीमान्य केन्द्रीय सेवा समूह "घ" (अराजपत्रित) (गैर- लिपिकीय)	2550-55- 2660-60- 3200 हपए	गैर-चयन	नहीं	कार 35 केन्द्री ग्रनुदे ग्रनुस् स्चित	वर्ष से अधिक नहीं (स ो कर्मचारियों के हिं वर्ष तक शिथिलनीय य सरकार द्वारा जा शीं प्रथवा ग्रादेशों गर ग्रमुसूचित जाति/ग्र ग जनजाति के उम्मीदवा ए 45 वर्ष)।
					napre.	n s english s	ति 1. म्रायु सीमा निर्धारण की निर्णाय तारीख भारत के उम्मी बारों के लिए म्रावेदन-प की प्राप्ति की अंतिम तारी होगी (भ्रौर भ्रंतिम तारी
						ot veta digit ili Stoveta digit ili sovetava una ese sociale como esta	उन उम्मीदवारों के हिं निर्धारित नहीं हो जो ग्रंसम, मेघाल ग्रंहणाचल प्रदेश, मिजीर मणिपुर, नागालैंड, विपुर
					enani		सिविकम, जम्मू । कश्मीर राज्य के लह् प्रभाग, हिमाचल प्रवं के लाहौल एवं स्पोति जि
					in formation to the state of th		तथा चम्बा जिले के पां उप-प्रभाग तथा अण्डम एवं निकीबार संघ
							ग्रथवा लक्षद्वीप संघ में रहते हों)।

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may,

by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts	Number of 'post	Classification	Scale of pay	Whether selec- tion cum- seniority or Selection by merit	Whether benefit of added years of service ad- missible under rule 30 of the
					Central Civil Service (Pen- sion) Rules, 1972
ı	2	3	4	5	6 .
I. Senior Peon	3* (1999) *Subject to variation dependent on work- load.	General Central Service Group 'D' (Non-gazetted) (Non-ministerial)	Rs. 2610-60-3150- 65-3540	Non-Selection	No
		a cretare series		L 82 % 7	
Age limit for direc	ct recruits		Educational and oth	ner qualifications, r	equired for direct
Age limit for direct	ct recruits		recruits	ner qualifications, r	equired for direct
Age limit for direct			recruits	8	equired for direct
7			recruits	8	equired for direct
Not app Whether age and oprescribed for dire	educational quali		Probation, Method of recruitme deputation	of recruitment, we not or by absorption percentage of post	whether by directomotion or by or by re-employ
7	educational quali	pply in if any	probation, Method of recruitmendeputation ment and	of recruitment, we not or by absorption percentage of post	whether by directomotion or by or by re-employ

	1	2	3		4	5		6
	unior Gestetner Operator	1* (1999) *Subject to variation dependent on work load.	General Centryices Group (Non-Gazet (Non-minist	ted)	Rs. 2610-60-3150-65- 3540	Non-sele	ction	No
	7				8		9	The Control Manager State of the American State of the Control of
	Not a	applicable			Not applicable		Not a	applicable

			10				11	
		Not	applicable	of come or an employee		Ву	promoti	ion
		12	9 7 %		13			.14
Daft	ry/Senior Peon	who has rende	red two (1)	Unde	r Secretary (Administra	tion), De-	Not ab	plicable
ye pr	ry/Senior Peon ars' regular serv oficiency in ope stetner machine	rice in the graderating and mai	e and has	partm man Section Enter Section	r Secretary (Administrated of Public Enterprise on Officer, Department prises—Member on Officer from other Department of Industrated of Industrated on Officer from other Department of Industrated on Industrated Officer on Industrated O	es—Chair- of Public epartment	Not ap	plicable
ye pr	ars' regular serv	rice in the graderating and mai	e and has ntaining (2)	partm man Section Enter Section	ent of Public Enterprise on Officer, Department prises—Member on Officer from other D	es—Chair- of Public epartment	Not ap	plicable 6
ye pr ge	ars' regular serv	vice in the graderating and mains.	e and has ntaining (2) (3)	partm man Section Enter Section under ber al Ser- 'D'	ent of Public Enterprise on Officer, Department prises—Member on Officer from other D the Ministry of Indust	of Public epartment ry—Mem-		6
ye pr ge	ars' regular serv oficiency in ope stetner machine	2 21* (1999) *Subject to variation dependent on work	e and has ntaining (2) (3) General Centr vice Group Non-Gazett	partm man Section Enter Section under ber al Ser- 'D'	ent of Public Enterprise on Officer, Department prises—Member on Officer from other D the Ministry of Indust 4 Rs. 2550-55-2660-60-	of Public epartment ry—Mem- 5 Not applicat		

Upto 25 years (relaxable for government servants upto 35 years. 45 years in case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates) in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note: 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the

Desirable—Training in 'Basic' and 'Refresher' course in Home Guards and Civil Defence.

Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/Competent Authority/Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.

Note: 2. The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/ Competent Authority/Central Government in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union

Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Note: 2. The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchanges shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to nominate candidates.

9			. 10			11	
Not applicable.		·T	wo years.	Ву	direct recruit	ment or by	absorption.
			9 20 1 20 1 3			trite, i yezinin	
	12			13	Table of the state of	1 12	14
	persons holding sin s in the Central Go		Department — Chairmant 2) Section Of Enterprise 3) Section Of Sect	nt of Public n. ficer, Depa — Member ficer from Ministry o	ministration), e Enterprises rtment of Pub r. other Departn f Industry	olic	t applicable.
1	2	3		4		5	6
5. Sweeper	*3 (1999) *Subject to variation dependent on work- load.	General Cent vice Group (Non-Gaza Non-Minis	p 'D' :	2550-55-20 200.	660-60- Non	-Selection.	No
Military of the state of the st		and a second	na amanaganakingtani dan magamanan				
Each is a self-automorphy opposition for a some annual plant display annual plant a		annesses et digitat grandere de de recente formalisme con des agrecos different allignes formati	and the second the second of the confidence of the second		Maria di	8	and the second s

Upto 25 years. (Relaxable for government servants upto 35 years. 45 years in case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note: 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

No educational qualifications,

/25/10/25/21